



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर हत्या का प्रयास करने वाले 02 अभियुक्तों को 10 वर्ष का कारावास व ₹10,000 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत मु०अ०सं०- 1655/09 धारा-307/34 भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय डकैती कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.बुंड़या खंगार पुत्र लोधी खंगार 2.बरदानी चमार पुत्र भूरा चमार निवासीगण इमिलिया थोक कस्बा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को 10 वर्ष का कारावास व ₹10,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक
एडीजीसी श्री अशोक
शुक्ला



विवेचक-
उ०नि० शिवप्रसाद



पैरोकार- थाना सुमेरपुर
का० जगत सिंह